षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-19 मंगलवार, दिनांक-29 मार्च, 2016 ई० ।

मानसीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.28 बजे अप० तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 19 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(iv) 175 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] सूचना :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि ''पुलिस अधीक्षक, नालंदा के फैक्स संवाद पत्रांक-907/गो०, दिनांक-27.03.2016 के माध्यम से श्री राजबल्लभ प्रसाद, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-237, नवादा को महिला थाना कांड संख्या-15/2016 दिनांक-09.02.2016 धारा-376/366(ए)/370/370(ए)/212/420/120(बी) भा०द०वि० एवं 4/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO ACT 2012) तथा 4/5/6 अनैतिक व्यापार अधिनियम में दिनांक-10.03.2016 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सूचना प्राप्त हुई है ।''

[3] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विद्यासागर केशरी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विजय कुमार खेमका एवं श्री नीरज कुमार सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री सत्यदेव राम (ii) श्री महबूब आलम

(iii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (iv) श्री समीर कुमार महासेठ

(v) श्री सुबोध राय
(vi) श्री विनोद प्रसाद यादव
(vii) श्री अशोक कुमार सिंह
(viii) श्री प्रह्लाद यादव
(ix) श्री मुद्रिका सिंह यादव
(x) श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा
(xi) श्री मो० नेमतुल्लाह
(xii) श्री ललन पासवान
(xiii) श्री मो० नवाज आलम
(xiv) श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(xv) श्री सरोज यादव

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित तथा दिनांक 11 एवं 15 मार्च, 2016 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्री (डॉ०) मदन मोहन झा द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तथा दिनांक 15 मार्च, 2016 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(iii) माननीय सदस्या श्रीमती लेशी सिंह का शिक्षा विभाग से संबंधित तथा 15 मार्च 2016 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्या द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा उत्तर दिया गया ।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार विधान सभा के नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगमक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर बिहार राज्य वित्तीय निगम का उत्तर प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

तदोपरान्त सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 3.35 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[7] विधायी कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खण्ड इस विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री नितिन नवीन
(ii) श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया ।)

(iii) श्री राज किशोर सिंह
(iv) श्री रामदेव राय

(v) श्री विजय कुमार सिन्हा (vi) श्री मो० नेमतुल्लाह

(vii) श्री उमेश सिंह कुशवाहा (viii) श्री विजय शंकर दूबे

(ix) श्रीमती मंजिता देवी (x) श्री रत्नेश सादा

माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा के भाषण के क्रम में उनके द्वारा अप्रिय शब्दों के उपयोग पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी सीट पर जाकर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया, किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 03.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

<u>स्थगनोपरांत</u>

(03.45 अप० से 04.10 अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

''आसन द्वारा माननीय सदस्यों से कहा गया कि उत्तेजना फैलाने वाली कोई बात न करें इससे पूरे सदन की मर्यादा का हनन होता है ।''

(xi) श्री गुलाब यादव (xii) श्री महबूब आलम

(xiii) श्री ललन पासवान

आसन से घोषणा की गयी कि सदन की सहमति से सरकार का उत्तर होने तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित हुआ ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-28 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-29 मार्च, 2016

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।